

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान जयपुर

क्रमांक - नर्सिंग/फार्मा/विविध-20/2019/

दिनांक

—:आदेश—

श्रीमती कल्पना राठौड, फार्मासिस्ट, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को दिनांक 01.09.2019 से 14.09.2019 (14 दिवस) तक विदेश भ्रमण (लंदन, यू.के.) हेतु स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है -

- 1 कार्मिका को विदेश जाने से पूर्व सक्षम स्तर से वाछित अवधि का अवकाश स्वीकृत करवाकर प्रस्थान करेगी तथा स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जावेगी।
- 2 विदेश जाने हेतु किसी प्रकार का वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा।
- 3 अवकाश समाप्ति के पश्चात् अपनी ड्यूटी पर अविजम्ब उपस्थिति होगी।
- 4 विदेश में किसी प्रकार का रोजगार एवं नियोजन स्वीकार नहीं करेगी।
- 5 विदेश प्रवास के दौरान राज्य सेवा से त्याग पत्र एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
- 6 विदेश प्रवास के दौरान किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी/अवैधानिक गतिविधियों से सबधित नहीं रहेगी।

—Sb—

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक -- नर्सिंग/फार्मा/विविध-20/2019/187

दिनांक 22-04-2019

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को उनके पत्र क्रमांक 2947 दिनांक 29.03.2019 के क्रम में।
- 2 श्रीमती कल्पना राठौड, फार्मासिस्ट को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 आदेश/निजी पत्रावली।

7

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर